संख्या 2205/14-2-2018-800(161)/2018

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0 प्र0,लखनऊ।

ASO
30/8
CCAWO
R
30/8/18

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक, 29 अगस्त 2018

विषय- रिलायंस 4जी परियोजना हेतु ओबरा वन प्रभाग की कुल 0.2901 हे0 आरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के भूमिगत आप्टिकल फाइअर केबिल (ओ0एफ0सी0) बिछाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-1528/ 11-सी-एफपी/यूपी/24318/2017, दिनांक 23-11-2017, का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार,पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश संख्या- 11-9/98-एफसी, दिनांक 07-9-2015 में विहित व्यवस्थानुसार रिलायंस 4जी परियोजना हेतु ओबरा वन प्रभाग की कुल 0.2901 हे0 आरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल (ओ0एफ0सी0) बिछाये जाने विषयक प्रकरण में आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के दृष्टिगत स्पष्ट संस्तुति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

भवदीय

(मनोज कुमार सिंह)
अनुसचिव

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–4857 11–सी–FP/UP/Others/24318/2017, लखनऊ, दिनांकः अगस्त 31, 2018

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा वांछित सूचना इस कार्यालय को दो प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा वांछित सूचना इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से दो प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– प्रबन्धक, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0, रोहतास के टेरिडेन्ट सेकेण्ड फ्लोर, 10 राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

31/8

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।